भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 9 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति) आधार पर लेवल-10 वेतन मैट्रिक्स (रुपये 56100-177500) मे सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद को भरना।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) के अधीनस्थ कार्यालय दिल्ली दुग्ध योजना पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय के एक पद को भरा जाना प्रस्तावित है। उक्त पद का वेतनमान लेवल-10 वेतन मैट्रिक्स(रुपये 56100-177500) है।

1. अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक (राजभाषा) को प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति) ऐसे अधिकारियों से भरा जाना है:-

प्रतिनियुक्तिः-

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी:-

(1) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं; या

(ii) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -7 (रूपये 44900-142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं।

(2) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं:-

आवश्यकः-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; **या**

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; **या**

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो; **या**

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; **या**

(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में रहा हो या डिग्री स्तर पर दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो ।

2. अनुभवः-

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी शब्दावली (पारिभाषित कार्य) के प्रयोग या उपयोजन और अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या विषर्ययेन, अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हों; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीयः- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं स्तर तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में से किसी एक का अध्ययन किया हो ।

3. ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के संबंध में भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रूपये 44900-142400) की क्षेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो उस पर भी अन्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएग और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा ।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यपद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. चयन किए गये अधिकारी को अपना वेतन स्तर और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 20.04.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 2-12/87-स्था0 (वेतन-I) और दिनांक 24.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं0 2/11/2017-स्था0 (वेतन-II) के अनुसार इस पद से संम्बद्ध समयमान में अपना वेतन निर्धारित करने का विकल्प होगा ।

6. अतः अनुरोध है कि ऐसे पात्र अधिकारियों जिन्हें उक्त पद पर चयन हो जाने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (दो प्रतियों में) संलग्न निर्धारित प्रफार्मो में (i) पिछलें 5 वर्षों के ए.सी.आर. / ए.पी.आर. (भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत सत्यापित) (ii) सतर्कता अनापति प्रमाणपत्र (iii) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र और (iv) गत 10 वर्षो के दौरान दिए गए छोटे-बड़े दंड संबंधी विवरणों की सत्यापित फोटो कॉपियों सहित उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को **कमरा सं0 491** (प्रशासन-4/सी.डी.डी), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली के पास भिजवा दें । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार सामाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी । जिन आवेदन पत्रों के साथ उक्त अपेक्षित विवरण संलग्न नहीं होगें और जो निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होंगे उन पर विचार नही किया जाएगा।

संजय कुमार 9/10/24

(संजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

<u>**विवरणः-**</u>

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश।
3. सभी स्वशासी निकाय/सांविधिक संगठन।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली

अनुलग्नक

प्रोफार्मा / जीवनवृत प्रपत्र

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में:
2. जन्म तिथि (ईसवी संन्)
3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख
4. केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख
5. शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण यदि कोई हो
6. रोजगार का विवरण कालानुक्रमिक क्रम में। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।

पद और नियोक्ता का नाम	वेतन स्तर और इसका वर्गिकरण	से	तक	नियुक्ति का स्वरुप अर्थात नियमित या तदर्थ या प्रतिनियुक्ति पत्र	किए गये कार्यो का स्वरुप (संक्षिप्त में)
1.	2	3	4	5	6

7. मूलतः धारित पद का नाम यदि कोई हो
8. वर्तमान धारित पद/ वेतन और वह तारीख जिससे यह वेतन ले रहे है। (वेतन स्तर भी निर्दिष्ट करे)
9. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के है?
10. टिप्पणी

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांकः

नियोक्ता प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त विवरण का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है। अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला और विभागीय जाँच न तो लंबित है और न ही उसका विचार किया जा रहा है। यब भी प्रमाणित किया जाता है कि गत 10 वर्षो में अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कोई बड़ा अथवा छोटा दण्ड नही लगाया गया है और उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है। उन्हें चयन किए जाने की दशा में उनकी प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

दिनांक ___________

स्थान ___________

कार्यालय मुहर सहित

नियोक्ता के हस्ताक्षर

F.No. M-03003/1/2021-Admn.4 (E.No.18913)
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
Department of Animal Husbandry & Dairying

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 9th October, 2024

Office Memorandum

Subject: - Filling up the post of Assistant Director (Official Language) in Pay Level-10 of Pay Matrix (Rs. 56100-177500) in Delhi Milk Scheme by deputation or Promotion (composite method).

The undersigned is directed to say that one post of Assistant Director (Official Language) belonging to the "General Central Service" Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial is proposed to be filled up in Delhi Milk Scheme, West Patel. Nagar, New Delhi a subordinate office of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying). The post carries the Pay Level-10 of Pay Matrix (Rs.56100-177500).

2. In accordance with the notified recruitment rules the post of Assistant Director (Official Language) is required to be filled by Deputation or Promotion (composite method) from amongst officers:

Deputation or promotion (composite method).

Deputation:

I. Officers from the Central/State Governments/Union Territories:-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix, and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience.

Essential:

(i) Master degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. **or**

(ii) Master degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. **or**

(iii) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. **or**

(iv) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. or

(v) Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.

(2) Experience:

(i) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body/Statutory Organizations or public sector undertaking or universities or recognised research institute or educational institutions. **or**

(ii) Three years' experience of Teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organizations or public sector undertaking or Universities or recognised research institute or educational institutions.

Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board.

Note 1. The Departmental Senior Translation Officer in Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix with three years regular service in the grade having educational qualifications and experience prescribed for deputationists will also be considered along with outsiders and in case he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion.

Note 2 . Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

3. The selected officer will have the option to draw his pay level plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of the post in accordance with the DOPT's O.M. No.2-12/87-Estt. (Pay-i) dated 20.04.1998 and O.M. No.2/11/2017-Estt.(Pay-II) dated 24.11.2017 as amended from time to time.

4. The applications in the prescribed proforma (attached) in respect of the eligible officers who could be spared immediately in the event of their selection, together with their complete and up-to-date (i) photocopies of Annual Confidential Reports/Annual performance Appraisal Reports of last five years, attested (signed & stamped) on each page by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India (ii) vigilance clearance (iii) integrity certificate and (iv) statement of major/minor penalties imposed during the last 10 years, may be sent through proper channel to the undersigned at **Room No.491 (Admin-4/CDD) Section, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying (Deptt. of Animal Husbandry & Dairying), Krishi Bhawan, New Delhi".** Last date of receipt of application is 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/ Rojgar Samachar. While forwarding the applications to this office it may be got verified and certified from the concerned departments that no disciplinary case is pending or contemplated against the officers. The application received without the

aforesaid required particulars or received after the last date, will not be considered.

Kumar
09/10/24

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

Distribution:

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. All State Governments/UTs.
3. All Autonomous Bodies/Statutory Organisations.
4. The General Manager, Delhi Milk Scheme, West Patel Nagar, New Delhi-110008.

Annexure-1

PROFORMA/ BIO- DATA

1. Name and address in block letters:
2. Date of Birth (in Christian era):
3. Date of entry in govt. Service:
4. Date of retirement under Central/State Government rules:
5. Educational Qualifications and training if any:
6. Details of Employment in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Name of the post and employer	Pay level and its classification	From	To	Nature of appointment i.e. whether ad-hoc or regular or on deputation	Nature of duties performed in brief
1	2	3	4	5	6

7. Name of post held substantively, if any:
8. Present Pay and the date from which it is being drawn:
   (Pay Level may also be indicated)

9. Whether belong to SC/ST:

10. Remarks

Signature of the candidate

Date

EMPLOYER'S ENDORSEMENT

Certified that the above particulars have been verified and found to be correct. No vigilance case is either pending and or contemplated against the officer. It is further certified that no major or minor penalty has been imposed on the officer during last 10 years and his Integrity is beyond doubt. In case of his selection, he will be relieved on deputation.

Signature of the Employer with Office Seal

Place:
Date: